

30.6.22

प्राणिकी पेश हुई। वकील प्रश्नकारान अनुपासित।  
 वकील वादेया व वादेया एवं वकील प्रतिवादी तथा  
 अपाथिमें वकील मायालय समप्रतक कार-कार आबाज  
 लगवाइ गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुए। और मा-ही  
 प्रमाण डायरी दिने जाने पर शेष अपाथिमें वकील लंबी  
 हेतु तलवाना जोरिस पेश नहीं किए हैं। तथा मा-ही वकील  
 अपाथिमें वकील अबाज व वकील तलमा मा प्राप्त हुआ है।  
 अतः प्राथिमा व प्राथिमा पता अन्तर्गत धारा 212 स. 1. ए.  
 प्रमाण डायरी दिने जाने पर भी शेष अपाथिमें वकील लंबी  
 हेतु तलवाना जोरिस पेश नहीं करने के अभाव में अन्तर्गत  
 धारा 09 नियम 05 को तहत लोरीज किया जाता है।  
 प्राणिकी पेश ल डायरी होकर नम्बर से व्यक्त होकर  
 दाखिल दफ्तार हो। निर्णय वकील मायालय में सुनना  
 गया।

उपरोक्त अधिकारी  
 साँभर लेखक

